

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	प्लॉट नं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (घ. म. च.)
अक्षीये का वावा	127	मोहम्मद लाल पुत्र बेबू रूप जाति झाड़मवा ला. सिंघरवाला खसरा सं. 11	11	11.28	मूला राम पुत्र बालू रूप जाति झाड़मवा ला. सिंघरवाला (घोड़) 29 म. 51 च. 6	11	11.28
अक्षीये का बाबा	128	मोहम्मद लाल पुत्र बेबू रूप जाति ला. इ. इ. खसरा सं. 14	14	1.71	मूला राम पुत्र बालू रूप जाति ला. सिंघरवाला (घोड़) खसरा सं. 14	14	1.71

क्रमांक :- 370
20/10/21
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिवाजी प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
POKSA-2021
दिनांक :-

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

शिवाजी प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
दिनांक :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का रथगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर